प्रेषक,

रविशंकर गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,
उ0प्र0,लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 18 अप्रैल, 2022

विषय:- अनुदान संख्या-16 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 07/दुग्ध-4/नियो/उ0प्र0राज्य दुग्ध परिषदसहा0/2022-23, दिनांक 08 अप्रैल, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-16 अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत लेखाशीर्षक 2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनाये-10-उ0प्र0राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 112.20 लाख के सापेक्ष रू0 37.40 लाख (रूपये सैतीस लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(2) पूर्व में अवशेष धनराशि के उपभोगोपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का निर्धारित मद से इतर किसी अन्य मद में किये जाने वाला व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को निर्धारित मद में व्यय कराने व उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 का होगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा तथा मानक मद से विचलन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(6) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।

(7) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 एतद्विषयक शासकीय दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों /गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

.....2 /-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

(10) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का उत्तरदायित्व होगा।

(11) वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(12) विभागाध्यक्षों/ अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(13) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(14) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/ बी-1-829/ दस-2020-231/2020,दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 धनराशि रुपये 37,40,000 (रुपये सैंतीस लाख चालीस हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 016 **लेखा शीर्षक** 2404001021000 उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक-30 दिसंबर, 2021 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रविशंकर गुप्ता)
विशेष सचिव,

संख्या- 11 /2022/227(1) /001-53-2002-002-2-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2. सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय परियोजना, जवाहर भवन, लखनऊ।

.....3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. वित्त नियन्त्रक, दुग्ध शाला विकास विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, वित्त(व्ययय-नियन्त्रण)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ह0/-

रविशंकर गुप्ता
विशेष सचिव।

-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।